न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 49/2021

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—: प्रार्थी

बनाम

प्रकाश पिता काना जाति किर निवासी कुमजी का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86

निर्णय

दिनांकः 04.03.2021

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवार हल्का मोर के मौजा मोर की खाता संख्या 655 (नई) 631 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3812 रकबा 0.13 हे0 किस्म— भू.गो.प्र. भूमि श्री शम्भुसिंह पिता नाथुसिंह राजपुत की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में स्थित आम के पेड़ नंग एक को अप्रार्थी श्री प्रकाश पिता काना जाति किर निवासी कुमजी का पारड़ा द्वारा बिना अनुमति के कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति के आम का पेड़ कांटे जाने के क्रम में पटवारी हल्का मोर द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख/लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री प्रकाश पिता काना जाति किर निवासी कुमजी का पारड़ा के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी की ओर से श्री दीपक जोशी, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर अप्रार्थी को इमदाद दिलातें हुऐ नियमानुसार निर्णय पारित करने का कथन किया गा।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का मोर द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल/लकड़ी सुपुर्दगीनामा का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री प्रकाश पिता काना जाति किर निवासी कुमजी का पारड़ा द्वारा पटवार हल्का मोर के मौजा मोर की खाता संख्या 655 (नई) 631 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3812 रकबा 0.13 हे0 किस्म— भू.गो.प्र. भूमि में स्थित एक आम के पेड़ को कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलघंन किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को खातेदारी भूमि में स्थित एक आम का पेड़ बिना अनुमति के कांटने के फलस्वरूप 100/— रू0 के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करातें हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार लकड़ी की किमत रू0 5,000/— (अक्षरे रूपयें पॉच हजार) में सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम से लकड़ी की निलामी कराई जाकर [illegible] सुपुर्द कराई जाकर (यदि लकड़ी अन्यत्र ले जाई जानी है तो सम्बन्धित [illegible] को वन विभाग से नियमानुसार लकड़ी परिवहन की स्वीकृति पृथक से [illegible]) जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में जमा कराते हुए पालना [illegible] इस न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:23 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner